बिहार सरकार

उद्योग विभाग

पत्रांक– रे०/प्रशिक्षण (तसर)–02/16 1402 दिनांक 28.03.18

प्रेषक,

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार(ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार *

विषय :– अनुसूचित जाति के लाभुकों को तसर कीटपालन प्रशिक्षण के लिए वर्ष 2017–18 में रु0 22,98,000/– (बाईस लाख अंठानवे हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने तसर कीटपालन प्रशिक्षण के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना से कुल रु0 22,98,000/– (बाईस लाख अंठानवे हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि रु0 22,98,000/– (बाईस लाख अंठानवे हजार) मात्र का व्यय मुख्य शीर्ष 2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष 0105–पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना रेशम का विकास, विपत्र कोड 23-2851007890105 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 0105.20.03 प्रशिक्षण व्यय से विकलित होगा।

3. योजना का कार्यान्वयन/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित कोषागार, स्वीकृत राशि एवं जिलावार लाभुकों की संख्या निम्नवत् होगा–

राशि रू0 लाख में

क्र0सं0	कार्यान्वयन / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार	अनु0 जाति की सं0	स्वीकृत राशि
1	अग्र परियोजना पदाधिकारी, अग्र परियोजना केन्द्र, इनारावरन, कटोरिया, बाँका	बाँका	287	8.61
2	अग्र परियोजना पदाधिकारी, अग्र परियोजना केन्द्र, श्यामबाजार, बाँका	बाँका	250	7.50
3	अग्र परियोजना पदाधिकारी, अग्र परियोजना केन्द्र, अधौरा, कैमूर	कैमूर	229	6.87
	कुल		**766**	**22.98**

(कुल रू0 बाईस लाख अंठानवे हजार मात्र)

4. स्वीकृत राशि की एकमुश्त अग्रिम निकासी की जाएगी।

5. राशि की निकासी में बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 176 एवं 177 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना के तहत वन विभाग द्वारा बाँका, कैमूर जिलों की वन भूमि पर तसर पौधे लगाए गए थे। इसपर कीटपालन करने वाले लाभूकों की पहचान वन विभाग द्वारा की गयी है। उनसे प्राप्त सूची अनुसूचित जाति के लाभुकों को तसर कीटपालन का प्रशिक्षण दिया जायगा। प्रशिक्षण अवधि 15 दिनों की होगी। लाभुकों के गाँव के निकट किसी पंचायत भवन में प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों प्रकार के प्रशिक्षण दिये जाएंगे। केन्द्रीय रेशम बोर्ड की विभिन्न इकाईयों से प्रशिक्षक प्रतिनियुक्त किये जाएंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम पर प्रति लाभुक रू0 3000/–को व्यय होगा। इसका विवरण इस प्रकार होगा–

क्र0 सं0	मद	राशि (रू0 में)
1	वृत्तिका रू0 100/–प्रतिदिन	1500/–
2	अल्पाहार रू0 50/– प्रतिदिन	750/–
3	प्रशिक्षण सामग्री (प्रमाणपत्र, अभिलेखीकरण एवं अन्य आकस्मिकताएँ)	450/–
4	वाहय प्रशिक्षकों का मानदेय	300/–
	कुल	3000/–

प्रशिक्षण प्रतिदिन चार घंटे का होगा। प्रत्येक बैच में लाभुकों की संख्या 40 होगी।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना होंगे। वे इस योजना का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे। लाभुकों का वृत्तिका एवं प्रशिक्षकों का मानदेय DBT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/वन प्रमंडल पदाधिकारी अपने स्तर से प्रशिक्षण कार्यक्रम पर निगरानी रखेंगे और प्रत्येक बैच के प्रशिक्षण की समाप्ति पर अपना प्रतिवेदन निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

7. यह राज्यादेश संचिका संख्या– रे0/प्रशिक्षण (तसर)–02/16 के पृष्ठ 07/टि0 पर दिनांक 24.03.2018 को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

8. राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभागीय पत्रंक 2561 दिनांक 17.04.1998 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

9. वित्त विभागीय पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. राशि की अग्रिम निकासी के प्रस्ताव में विभागीय माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–. रे0/प्रशिक्षण (तसर)–02/16 1402 पटना,दिनांक– 28-03-18

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, बाँका/कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–. रे0/प्रशिक्षण (तसर)–02/16 1402 पटना,दिनांक– 28-03-18

प्रतिलिपि– अग्र परियोजना पदाधिकारी, अग्र परियोजना केन्द्र, इनारावरण कटोरिया, बाँका/श्यामबाजार (बाँका)/अधौरा, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–. रे0/प्रशिक्षण (तसर)–02/16 1402 पटना,दिनांक– 28-03-18

प्रतिलिपि–वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, ह0रे0, बिहार,पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), पटना एवं भागलपुर/योजना शाखा, उद्योग विभाग/बजट शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ तथा आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।